तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4722/2022/गंगानगर** **भूराराम बनाम राजेन्द्र चाहर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री दिनेश कुमार सेन, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 12–10–2022

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–8–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27–7–2022 में वर्णित भूमि की आगामी तिथि तक राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखकर वास्ते जबाव बहस केवियटकर्ता को पत्रावली में आगामी तारीख नियत की है ।

2– अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति के प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।

3– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रारंभिक आपत्ति पर बाबत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने बाबत खारिज किए जाने हेतु प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश है जो निर्णित प्रकरण की परिभाषा में नहीं आता है तथा ऐसे आदेश की निगरानी पोषणीय नहीं है । धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रथम अपील धारा 225 में प्रथम अपील माननीय न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष होती है । अतः निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2005(2) पृष्ठ 881, आर.बी.जे. 2019 पृष्ठ 127, आर.आर.टी. 2022(2) पृष्ठ 803, आर.आर.टी. 2019(1) पृष्ठ 92, डी.एन.जे. 2017 पृष्ठ 64 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि अप्रार्थी/वादीगण द्वारा सहायक कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–7–2022 के विरूद्ध धारा 223 राजस्थान काश्तकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4722/2022/गंगानगर** **भूराराम बनाम राजेन्द्र चाहर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिनियम के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर के समक्ष पेश की किन्तु उनके अवकाश पर होने से लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पेश कर केवियटकर्ता को नोटिस जारी किए बिना अप्रार्थी/अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर स्थगन आदेश पारित कर दिया जिससे प्रार्थी का केवियट प्रार्थना–पत्र पेश करने का औचित्य ही समाप्त हो गया इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि It is mandatory to hear the caveator before any stay order is passed परन्तु लिंक अधिकारी ने प्रार्थी/केवियटकर्ता को नोटिस जारी किए बिना ही निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया जो धारा 148–क सीपीसी में स्थापित विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निगरानी माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दस्तावेजी साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन किए बिना पारित किया गया है जो एक गंभीर विधिक त्रुटि है जिसे धारा 221 के तहत व्यापक अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर उचित अनुतोष प्रदान किया जावे । अतः निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे । 5– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–7–2022 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई । जिस पर उन्होंने निर्णय दिनांक 1–8–2022 को अप्रार्थी/अपीलाण्ट की बहस सुनकर यह आदेश पारित किया कि ''आगामी तारीख पेशी तक उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 66/2020 उनवान राजेन्द्र चाहर बनाम भूराराम आदि निर्णय दिनांक 27–7–2022 में वर्णित भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें।'' पत्रावली वास्ते जबाव/बहस केवियटकर्ता दिनांक 8–8–2022 को राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश हो ।'' उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर के समक्ष अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रार्थी द्वारा केवियट प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। किन्तु दिनांक 1–8–2022 को राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रकरण पेश किया जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा केवियट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी अप्रार्थी/अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4722/2022/गंगानगर** **भूराराम बनाम राजेन्द्र चाहर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के आदेश दिनांक 1–8–2022 दिए गए जबकि सर्वप्रथम न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया के तहत केवियटर को सुनकर ही अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित करना अपेक्षित था । इस संबंध में डी.एन.जे. 2017(1) पृष्ठ 64 के पेरा नंबर 4 पर यह मत अभिमत प्रतिपादित किया है कि – 4- After hearing the arguments of the learned cousel,I am of the considered opinon that in this matter, grave illegality has been caused by the learned R.A.A. while passing the order dated 27.07. 2016 without hearing of the caveator and it is the clear cut violation of law and misuse of the power given to the court. It is in excess of jurisdiction and it is clearly mentioned is Section 115 of the C.P.C. as well as 230 of the Rajsthan Tenancy Act that if any Court has exercised jurisdiction not vested in it by law or to have been failed to exercise jurisdiction so vested or to have acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, then that order has to be interfered with and it not sustainable under the law. The learned R.A.A. has failed to exercise its power and acted in grave illegality and material irregularity by passing the ex-parte order even in spite of caveat application pending before it. इस संबंध में ए.आई.आर. 1981 पृष्ठ 281 पर यह मत अभिमत प्रतिपादित किया है कि – .AIR 1981 KARNATAKA 244 “G.CSiddalingappa vs G.C. Veeranna” Therefore, the interim order passed by the lower appellate Court on 28-2-1981 without serving a notice of the application on the petitioner cavetor ,is liable to be set aside, as the learned Civil Judge could not have passed an exparte order in a case where the caveat had been filed . इस संबंध में आर.आर.टी. 2022 (2) पृष्ठ 903 पर यह मत अभिमत प्रतिपादित किया है कि – Code of Civil Procedure, 1908-Section 148-A -Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section-212-Dispute of way between the parties-Trial Court granted ex-parte interim order in favour of	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4722/2022/गंगानगर** **भूराराम बनाम राजेन्द्र चाहर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	the plaintiff/non-petitioner -Khasra No. 1350 is recorded as gair mumkin rasta-No opportunity of hearing given to caveator before passing stay order-Held, Order of granting stay order is set aside and case remanded. उक्त प्रावधानों के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा केवियटर को सुने बिना ही स्थगन आदेश पारित किया है जबकि केवियट प्रस्तुत होने पर स्थगन के प्रकरणों में केवियटकर्ता को सुना जाना आज्ञापक है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने इसमें हस्तक्षेप की गुजांईश रहती है । 7— उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति का प्रार्थना—पत्र खारिज कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है। । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 1—8—20222 निरस्त किया जाता है । चूंकि प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष लम्बित है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड मंगाना उचित नहीं समझते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 14—11—2022 को उपस्थित हों । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	